न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–12 / 2019–20

उत्पाद थाना कांड संख्या–75सी / 2020

राज्य बनाम राजू कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3

वाहन विमुक्ति आदेश

प्रस्तुत वाद अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के पत्रांक 248 / उत्पाद दिनांक 02.07.2020 के द्वारा उत्पाद थाना कांड संख्या–75सी / 2020, दिनांक 20.06.2020, धारा–30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जप्त एक ब्लू रंग का टी0भी0एस0 मोटर साईकिल जिसका निबंधन संख्या–BR34N-0530 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया।

अवर निरीक्षक उत्पाद, चलिष्णु दल, खगड़िया के प्रतिवेदन दिनांक–22.06.2020 के अनुसार दिनांक–20.06.2020 को नि0म0 गोगरी एवं सदर के पर्यवेक्षण में प्रतिनियुक्त सैप के सशस्त्र बल, गृह रक्षा वाहिनी एवं अपने सहकर्मियों के साथ गश्ती के क्रम में संदेह के आधार पर टी0भी0एस0 अपाची मोटर साईकिल बिना नम्बर का घटना स्थल पर छापामारी किया। छापामारी दल को देखकर मोटर साईकिल से उतरकर व्यक्ति भागने लगा जिसे खदेड़कर पकड़ा गया। विधिवत गाड़ी का तलाशी लिया तो गाड़ी के सीट के नीचे से 10.500 लीटर विदेशी शराब प्रदर्श बरामद किया। प्रदर्श को जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई घटनास्थल पर विधिवत पूरा किया।

अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन एवं व्यक्तियों के विरूद्ध उत्पाद थाना कांड संख्या–75सी / 2020 दिनांक 20.06.2020 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

चूँकि अवैध शराब / मादक द्रव्य / नशीली पदार्थ की खरीद–बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
	पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा–58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई। अवैध रूप से शराब के खरीद–बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण–पृच्छा किया गया। विपक्षी ने अपने आवेदन में कथन किया है कि उन्होंने यह आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C वाद सं0–718/21 में पारित आदेश दिनांक–24.03.21 के आलोक में दाखिल किये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने C.W.J.C वाद सं0–718/21 में दिनांक–24.03.21 को पारित आदेश में " **all proceedings under Section 58 must positively by initiated/concluded within a period of ninety days from the date of appearance of the parties. Further, Appeal/Revision, if any, be also decided within a period of thirty days from the date of initiation, failing which the "things" (vehicle/property/etc.) shall be deemed to have been released in terms of several orders passed by this Court."** उद्धत किया है कि प्रसंगाधीन अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही को पक्षकारों की उपस्थिति की तिथि से 90 दिनों के अंदर निष्पादित करना है और अगर निष्पादन 90 दिनों में नहीं किया जाता है तो जप्त वाहन को मुक्त कर दिया जाएगा। विपक्षी का आगे कथन है कि वे 19.03.21 को इस वाद में उपस्थित हुए तथा 90 दिनों के बीत जाने के बाद भी मामले का निष्पादन नहीं किया गया। विपक्षी का आगे कथन है कि उनके जप्त मोटर साईकिल से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अतः मोटर साईकिल को जप्त नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त आधारों पर विपक्षी ने जप्त मोटर साईकिल को मुक्त करने का निवेदन किया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया ने विपक्षी के कथन का विरोध करते हुए अंकित किये है कि जप्त मोटर साईकिल से शराब बरामद हुआ हैं। अतः विपक्षी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाय। उभय पक्षों के अभिकथन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C वाद सं0–718/21 में पारित आदेश दिनांक–24.03.21 एवं अभिलेख पर उपलब्ध प्राथमिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त मोटर साईकिल के साथ शराब बरामद हुआ। विपक्षी इस वाद में 19.03.2021 को ही उपस्थित हो गए है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C वाद सं0–718/21 में दिनांक–24.03.21 को पारित आदेश में किए गए अवधारण के अनुसार 90 दिनों में इस मामले का निष्पादन नहीं किया जा सका है।	

आदेश की क्रम स0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अवधारण के आलोक में जप्त मोटर साईकिल वाहन सं0– BR34N-0530 को मुक्त किया जाना बाध्यकारी प्रतीत होता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय पटना के उपरोक्त अवधारण के आलोक में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटर साईकिल निबंधन संख्या– BR34N-0530 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

अवर निरीक्षक उत्पाद, चलिष्णु दल, खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि उक्त थाना कांड संख्या–75C3/2020 दिनांक–20.06.2020 में जब्त ब्लू रंग का टी0भी0एस0 अपाची मोटर साईकिल वाहन संख्या– BR34N-0530 के वाहन के वाहन स्वामी राजु कुमार, पिता–राकेश कुमार चौरसिया, ग्राम–काजीचक, पो0+थाना–महेशखूंट, जिला–खगड़िया को उचित पहचान कर विहित प्रक्रिया के तहत सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगें।

आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/अवर निरीक्षक उत्पाद, चलिष्णु दल, खगड़िया को भेजें तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

[signature] 21/8/21

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञा0 सं0 451 दिनांक 24/8/21
प्रतिलिपि - उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/अवर निरीक्षक उत्पाद, चलिष्णु दल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
[signature]
अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।